

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 7th November, 2013

No. CCP (NCR)/JH/CA/2013/2588.- Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional or recreational estates/activities and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of Controlled Area along Rohtak-Jhajjar-Rewari road (National Highway Number 352) Part-I, Jhajjar district to be read with drawing number DTP(JH) 421/12 dated 03.04.2012.

North: Starting from point 'A' i.e. the point where Controlled Area boundary declared around Jhajjar town vide notification number 260-10DP-82/4784 dated 26th March 1982 meets the northern corner of rectangle number 5 of village Gijadod (Hadbast Number 260). Thence towards east along the northern revenue boundaries of village Gijadod and village Silana (Hadbast Number 259) upto point 'B' which is the north-east corner of rectangle number 3 of village Silana.

East: Thence moving from point 'B' towards south along the eastern boundary of rectangle number 3 & 12 of village Silana, thence towards east along northern boundary of rectangle number 22 of village Silana, thence towards south along eastern boundary of rectangle number 22,35,50 and 62 of village Silana, thence towards west along southern boundary of rectangle number 62 of village Silana, thence towards south along eastern boundary of rectangle number 72,85,94,108,117 and 127 of village Silana, thence towards west along southern revenue boundary of village Silana where it meets the boundary of village Kakhana (Hadbast Number 237). Thence towards south along the eastern revenue boundary of rectangle number 3, 10, 11, 18, 19, 26, 27 & 31 of village Kakhana and rectangle number 36, 37, 57, 58, 75, 74 & 76 of village Dadanpur (Hadbast Number 238), rectangle number 13,32 of village Chandpur (Hadbast Number 239), rectangle number 12, 26, 27,28,55,56,85 & 86 of village Machhroli (Hadbast Number 240), upto south east corner of rectangle number 86 of village Machhroli, thence moving east & again towards south along eastern boundary of rectangle number 5, 12, 20, 27, 42, 49 & 66 of village Kahari (Hadbast Number 253), rectangle number 15, 19, 30, 36, 47, 51, 62, 65, 72 & 74 of village Amadapur (Hadbast Number 252), rectangle number 18,21,37 & 41 of village Kulana (Hadbast Number 248), rectangle number 9 & 15 of village Patauda (Hadbast Number 249), upto south-east corner of rectangle number 15 of village Patauda thence towards west along southern boundary of rectangle number 15 of village Patauda, thence towards south along eastern boundary of rectangle number 28,37 & 56 of village Patauda, thence towards west along southern boundary of rectangle number 56 of village Patauda, thence towards south along eastern boundary of rectangle number 69,96 & 109 of village Patauda, upto south east corner of rectangle number 109 of village Patauda, thence towards west along the southern boundary of rectangle number 56 of village Patauda, thence towards south along eastern boundary of rectangle number 137,144,170 & 174 of village Patauda, upto point 'C' i.e. the south east corner of rectangle number 174 of village Patauda.

South: Thence moving from point 'C' towards west along southern boundary of rectangle number 174 of village Patauda, upto south-west corner of rectangle number 174 of village Patauda where it meets the boundary of District Rewari as well as boundary of village Patauda thence towards north-west along the south-west revenue boundary of village Patauda upto point 'D' where it meets the eastern boundary of Rohtak-Jhajjar-Rewari railway line with the District boundary of Rewari-Jhajjar.

West: Thence moving from point 'D' towards north along the eastern boundary of Rohtak-Jhajjar-Rewari railway line upto point 'E' which is the south west corner of rectangle number 10 of village Dadanpur, thence towards north-east along western revenue boundary of village Dadanpur, upto north east corner of rectangle number 1 of village Raipur (Hadbast Number 236), thence towards north along western boundary of rectangle number 50,39,32,21,14 & 5 of village Gijadod upto point 'A' i.e. the point of start.

T.C. Gupta,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
 दिनांक 7 नवम्बर, 2013

संख्या सी सी पी (एन सी आर)/जे एच/सी ए/2013/2588 .- चूंकि सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या मनोरंजनात्मक सम्पदाओं/गतिविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों के लिए संभाव्य हैं :

इसलिए , अब ,पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला झज्जर में रोहतक-झज्जर-रेवाड़ी सड़क (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 352) भाग-1 के साथ-साथ नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जेएच) 421/12, दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के साथ पढा जाए।

उत्तर :- बिन्दु 'ए' से आरम्भ करते हुए अर्थात् वह बिन्दु जहाँ अधिसूचना संख्या 260-10 डी पी - 82/4784, दिनांक 26 मार्च, 1982 द्वारा झज्जर शहर के आस-पास घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा गाँव गिजाडौद (हदबस्त संख्या 260) की आयत संख्या 5 की उत्तरी कोने से मिलती है । तत्पश्चात पूर्व की ओर गाँव गिजाडौद और गाँव सिलाना (हदबस्त संख्या 259) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जो कि गाँव सिलाना की आयत संख्या 3 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व :- तत्पश्चात बिन्दु 'बी' से चलकर दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए गाँव सिलाना की आयत संख्या 3 तथा 12 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, तत्पश्चात पूर्व की ओर गाँव सिलाना की आयत संख्या 22 की उत्तरी सीमा के साथ, तत्पश्चात दक्षिण की ओर गाँव सिलाना की आयत संख्या 22, 35, 50 तथा 62 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, तत्पश्चात पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गाँव सिलाना की आयत संख्या 62 की दक्षिणी सीमा के साथ, तत्पश्चात दक्षिण की ओर गाँव सिलाना की आयत संख्या 72, 85, 94, 108, 117 तथा 127 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, तत्पश्चात पश्चिम की ओर गाँव सिलाना की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ बढ़ते हुए जहाँ यह गाँव काखाना (हदबस्त संख्या 237) की सीमा में मिलती है । तत्पश्चात दक्षिण की ओर गाँव काखाना की आयत संख्या 3, 10, 11, 18, 19, 26, 27 तथा 31 के साथ तथा गाँव दादानपुर (हदबस्त संख्या 238) की आयत संख्या 36, 37, 57, 58, 75, 74 तथा 76, गाँव चान्दपुर (हदबस्त संख्या 239) की आयत संख्या 13, 32, गाँव माछरौली (हदबस्त संख्या 240) की आयत संख्या 12, 26, 27, 28, 55, 56, 85 तथा 86 की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ गाँव मछरौली की आयत संख्या 86 के दक्षिण- पूर्वी कोने तक, तत्पश्चात पूर्व की ओर तथा पुनः दक्षिण की ओर बढ़ते हुए गाँव काहरी (हदबस्त संख्या 253) की आयत संख्या 5, 12, 20, 27, 42, 49 तथा 66, गाँव अमदालपुर (हदबस्त संख्या 252) की आयत संख्या 15, 19, 30, 36, 47, 51, 62, 65, 72 तथा 74, गाँव कुलाना (हदबस्त संख्या 248) की आयत संख्या 18, 21, 37 तथा 41, गाँव पाटौदा (हदबस्त संख्या 249) की आयत संख्या 9 तथा 15 की पूर्वी सीमा के साथ गाँव पाटौदा की आयत संख्या 15 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक, तत्पश्चात दक्षिण की ओर गाँव पाटौदा की आयत संख्या 15 की दक्षिणी सीमा के साथ, तत्पश्चात गाँव पाटौदा की आयत संख्या 28, 37 तथा 56 की पूर्वी सीमा के साथ, तत्पश्चात पश्चिम की ओर गाँव पाटौदा की आयत संख्या 56 की दक्षिणी सीमा के साथ, तत्पश्चात दक्षिण की ओर गाँव पाटौदा की आयत संख्या 69, 96 तथा 109 के पूर्वी सीमा के साथ, गाँव पाटौदा की आयत संख्या 109 के दक्षिण-पूर्वी कोने तक, तत्पश्चात पश्चिम की ओर गाँव पाटौदा की आयत संख्या 56 की दक्षिणी सीमा के साथ, तत्पश्चात दक्षिण की ओर गाँव पाटौदा की आयत संख्या 137, 144, 170 तथा 174 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जोकि गाँव पाटौदा की आयत संख्या 174 का दक्षिण- पूर्वी कोना है ।

दक्षिण :- तत्पश्चात बिन्दु 'सी' से पश्चिम की तरफ चलकर गाँव पाटौदा की आयत संख्या 174 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गाँव पाटौदा की आयत संख्या 174 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक जहाँ यह गाँव पाटौदा की सीमा के साथ-साथ जिला रेवाड़ी की सीमा पर मिलती है। तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर गाँव पाटौदा की दक्षिण-पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ बिन्दु 'डी' तक जहाँ यह रोहतक-झज्जर -रेवाड़ी रेलवे लाइन की पूर्वी सीमा के साथ रिवाड़ी- झज्जर की जिला सीमा से मिलती है।

पश्चिम :- तत्पश्चात बिन्दु 'डी' से चलकर उत्तर की ओर बढ़ते हुए रोहतक-झज्जर रेलवे लाइन की पूर्वी सीमा के साथ बिन्दु 'ई' तक जो गाँव दादानपुर (हदबस्त संख्या 238) की आयत संख्या 10 का दक्षिण-पश्चिम कोना है। तत्पश्चात उत्तर-पूर्व की ओर गाँव दादानपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ, गाँव रायपुर (हदबस्त संख्या 236) की आयत संख्या 1 का उत्तर-पूर्वी कोने तक, तत्पश्चात उत्तर की ओर बढ़ते हुए गाँव गिजाडौद की आयत संख्या 50, 39, 32, 21, 14 तथा 5 की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भ बिन्दु है।

टी. सी. गुप्ता,
 प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
 नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।